न्यायालय सहायक कलक्टर अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 55/2023

नोरत बनाम रामचन्द्र अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधि. 1955 व धारा 136 भू.राज. अधि. 1956

1.नोरत पुत्र हीरा जाति गुर्जर आयु 65 साल निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान। –वादी

बनाम

1.रामचन्द्र पुत्र बींजा जाति बैरवा आयु लगभग 70 साल निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई अजमेर राजस्थान।

2.बनवारी पुत्र श्री राधाकिशन जाति बैरवा आयु 35 साल निवासी ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

3. तहसीलदार , तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू.राज.अधि.1956

आदेश

1. संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज.का.अधि. 1955 तथा भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री ओमप्रकाश खोरवाल ने पेश किया जिसमें वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि ग्राम गेहलपुर में स्थित है जिसके वादग्रस्त खसरा संख्या 227, 228 व 257 कुल किता 03 कुल रकबा 02.1924 हैक्टैयर भूमि स्थित है तथा वर्तमान में वादअधीन भूमि पर कांटों की डोल लगी हुई है तथा वर्तमान में वहां पर फसल काश्त है। वादग्रस्त भूमि के नजदीक ही प्रतिवादीगण की भूमि लगायत है। वादी की कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 228, 257 की भूमि का राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में सही रूप से इन्द्राज किया हुआ है तथा वादी जमाबन्दी में इन्द्राज रकबे की भूमि पर अर्से दराज से काबिज काश्त है। वादी के उक्त कब्जे काश्त की भूमि खसरा संख्या 228 व 257 को वर्तमान नक्शा में प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा कम कर दिया गया है [illegible]ता को बन्द कर दिया गया है। वादी वादग्रस्त खसरा संख्या 228 व 257 की भूमि को राजस्व नक्शा ट्रेस को सम्वत 2027 के अनुसार संशाधन करवाने का अधिकारी है तथा खसरा संख्या 255 पर किये गये अंकन को करवाने का अधिकारी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवदी संख्या 01 व 02 को जरिये स्थायी निषधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 228 व 257 की कांटों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:55:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अरांई

बाड़ को क्षतिग्रस्त नहीं करें तथा इस आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी पारित किया जावे तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम गेहलपुर तहसील अराई के खसरा संख्या 228, 257, 255 की भूमि को सम्वत 2027 के नक्शानुसार संशोधित किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 03 को फरमाने की कृपा करें। प्रकरण को दिनांक 23.08.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 55/2023 पर दर्ज कर नोटिस जारी किये गये।

2. बाद तलबी पत्रावली दिनांक 29.09.2023 को पेश हुई। तलबी उपरान्त प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने उपस्थित होकर सहमति में जवाब दावा पेश किया। जवाबदावे में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर यदि ग्राम गेहलपुर के खसरा संख्या 228, 257 में नक्शा सम्वत 2027 के अनुसार तरमीम की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 19.10.2023 को प्रकरण में तहसीलदार अंराई का जवाब प्रस्तुत हुआ। तहसीलदार अरांई ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि ग्राम गेहलपुर के नक्शा ट्रेस सम्वत 2027 में अंकित आकृति खसरा संख्या 228 व 255, 257 सही है जिसके अनुसार वर्तमान सेग्रीकेशन नक्शे में दुरूस्ती किया जाना उचित है, नक्शे में दुरूस्ती करने पर जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

3. वकील वादी की वाद पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा आने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वादअधीन भूमि ग्राम गेहलपुर तहसील अरांई के खसरा संख्या 228, 257 व 255 में संलग्न नक्शा सम्वत् 2027 में लाल स्याह से अंकन के अनुसार तरमीम शुद्धि करें। संलग्न नक्शा सम्वत् 2027 तथा तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेंगें। नक्शे में दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

सहायक कलक्टर
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:55:45 IST
Reason: SelfAttested